क्रम संख्या–083 (ख)

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०एन०–30 / 02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 12 जुलाई, 2002 ई०
आषाढ़ 21, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5

संख्या 200 / विअनु–5 / मनो० कर / 2002
देहरादून, 12 जुलाई, 2002

अधिसूचना

प० आ०–070

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 सपठित उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) एवं उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 28, सन् 1979) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से समय–समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 30 ई. बी–9 (17) / 81–वित्त, म० क० अनुभाग, दिनांक 12–04–1989 में आंशिक संशोधन करते हुए छविगृहों पर मनोरंजन कर की दर 100 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत किये जाने की निम्न प्रतिबन्ध के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

यह कि सिनेमा में पुरानी / रिपीट रन फिल्मों के प्रदर्शन हेतु घटी टिकट दरों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति ली जायेगी।

यह कि जो सिनेमाघर छूट की प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निर्मित हुए हों, उन्हें पूर्ववत् छूट की सुविधा अनुमन्य होगी।

आज्ञा से,
(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 7 वित्त / 129–2002–200+70 (कम्प्यूटर / रीजियो)।